सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या —56 / 2016 अपील (RCMS/2016/00083)
पंजीयन दिनांक —27.06.2016
निर्णय दिनांक —27.11.2018

1. श्री नाथु पिता रूपाजी नाई, निवासी रामपुरिया, तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री शिवलाल पिता नारायण नाई, निवासी रामपुरिया, तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री कालू पिता नारायण नाई, निवासी रामपुरिया, तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्री छोटू पिता नारायण नाई, निवासी रामपुरिया, तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।
5. श्री शम्भूलाल पिता श्योचन्द नाई, निवासी रामपुरिया, तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।
6. श्रीमती रूकमा बाई पुत्री श्योचन्द नाई, निवासी रामपुरिया, तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।

—अपीलान्टस्

बनाम

1. श्री भेरूलाल पिता किशना नाई, निवासी कदवासा हाल निवासी रामपुरिया, तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।
2. सरपंच ग्राम पंचायत रामपूरिया, तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।
3. सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।

—रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः—
1. श्री पी.सी.पालीवाल— वकील अपीलान्ट

अपील अर्न्तगत धारा—76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी, बेगूं प्रकरण संख्या 07 / 2015 दिनांक 29.07.2015

निर्णय

दिनांक 27.11.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी, बेगूं प्रकरण संख्या 07/2015 दिनांक 29.07.2015 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या–1 श्री भैरूलाल ने अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूं में नामान्तरकरण संख्या 430 दिनांक 17.04.1997 के विरूद्ध पेश कर कथन किया कि स्व. किशना खातेदार रूपा नाई के अन्य वारिसान के साथ–साथ वह सह खातेदार थे, परन्तु उक्त विरासत के नामान्तकरण कार्यवाही में उनको वारिस नहीं मानकर जमाबन्दी से उनका नाम हटा दिया गया जिससे उक्त नामान्तकरण को निरस्त करने हेतु अपील पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी, बेगूं द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत फोलोअप केम्प कोर्ट जयनगर में रखाई जाकर निर्णय दिनांक 29.07.2015 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार, बेगूं को निर्देशित किया कि वह मृतक खातेदार किशना पिता रूपा नाई के पुत्र श्री भैरूलाल पिता किशना बेवा कस्तुरी के नाम जांच कर पुनः इन्तकाल विरासत से खोला जावें।

उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट उपस्थित, जिनकी एकतरफा बहस दिनांक 20.11.2018 को सुनी गई। वकील रेस्पोडेंट को निर्णय से पूर्व लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। वकील रेस्पोडेंट द्वारा लिखित बहस दिनांक 22.11.2018 को प्रस्तुत की गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट संख्या–1 स्वयं व उसकी माता ने ग्राम पंचायत रामपुरिया की कोरम में विरासती नामान्तकरण को निर्धारित करते समय नोटिस से आहूत किये जाने पर दिनांक 17.4.1997 को उसके द्वारा निष्पादित शपथ पत्र कोरम में पेश किया। वारिसान ने पंचायत की कोरम में बयान देकर किशना पिता रूपा नाई को कदवासा निवासी नारायण नाई के घर जवाई के रूप में पदासीन हो गोदपुत्र की भांति वर्षों से निवासरत रहते हुए ही मर गये है, वारिसान दौनों (भैरूलाल व कस्तुरी बेवा) उसी चल अचल कदवासा (म.प्र.) वाली जायदाद पर काबिज भी है, सहमति से हक त्याग चुके है। इसलिए पंचायत ने नामान्तरकरण संख्या 430 दिनांक 17.04.1997 को चार वारिसान के नाम दर्ज किये है।

खातेदारी के इस इन्द्राज के 18 वर्षों उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छिपाकर अपील पेश की जिसे बिना जांच पडताल कर स्वीकार करने में वैधानिक त्रुटि की है। ऐसी स्पष्ट अवधि पार अपील स्वीकार करने में स्वेच्छा चारिता की कारित की है। आदेश संचिका दिनांक 23.07.2015 के अनुसार अपीलार्थीगण की मात्र तलबी में पेशी दिनांक 13.08.2015 नियत की थी जिसे बिना सूचना परिवर्तित कर केम्प कोर्ट में दिनांक 28.07.2015 को रख अपील का निर्णय किया गया जो अवैधानिक है। स्वयं किशना अपनी मृत्यु पूर्व ''वसीयत पत्र'' स्वरूप निष्पादित शुदा उसी के पुत्र एवं पत्नि के पंचायत में पेश कर बयानों से पुष्टि कराया है, वह पुनः तथ्य छिपाकर अपील पेश करने का अधिकार नहीं रहता है। वह लॉ ऑफ स्टोपल से प्रतिबंधित रहता है। आदेश 41 नियम 27 सीपीसी मय शपथ पत्र करते हुए निर्णय निरस्तगी हेतु यह द्वितीय अपील पेश है। विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अवगत कराया कि उक्त निर्णय अपीलान्ट को सुने एवं विवेचन किये बिना पारित किया गया जिसकी जानकारी होते ही नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई। 11 माह की देरी कन्डोन बाबत प्रार्थना पत्र धारा–5 मयाद अधिनियम भी प्रस्तुत किया है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या–1 ने अपनी लिखित बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्ण रूप से विधि सम्मत होकर सही है। जिसके कोई विधिक त्रुटी नहीं है। विवादित नामान्तकरण संख्या 430 श्री किशना नाई जो कि रेकर्डेड खातेदार थे, की मृत्यु उपरान्त खोला गया है तथा कानूनन रेकर्डेड खातेदार के विधिक वारिसान के नाम ही विरासत से नामान्तरकरण खोला जा सकता है। किसी खातेदार के जीवित वारिसान के नाम का अंकन ग्राम पंचायत को हटाने का अधिकार नहीं है। नामान्तकरण संख्या 430 में भी किशना नाई का सजरा बना रखा है जिसमें भी भैरूलाल रेस्पोडेंट संख्या–1 किशना नाई का लड़का व कस्तुरी बाई को किशना की बेवा बता रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या–1 व कस्तुरी बाई के नाम जांच कर पुनः इन्तकाल विरासत खोलने का दिया आदेश न्याय संगत है। मृतक किशना कही अन्यत्र गोद गये या नहीं यह साक्ष्य का विषय है जो नियमित वाद में साक्ष्य उपरान्त ही तय किया जा सकता है और यदि मोजूदा अपीलान्ट वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हित रखते है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में नियमित वाद लाकर अपने अधिकारों की घोषणा कराया जाना आवश्यक है। नामान्तरकरण कार्यवाही केवल संक्षिप्त कार्यवाही है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार तय नहीं किये जा सकते है। विरासत के नामान्तरकरण की कार्यवाही में केवल खातेदार के विधिक वारिसानों को ही देखा जाना है। मृतक व खातेदार के विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण नहीं कर अन्य के नाम नामान्तरकरण केवल शपथ पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत रामपुरिया द्वारा जो नामान्तरकरण तस्दीक किया उसे अधीनस्थ न्यायालय

ने निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जाने का अनुरोध किया है।

हमने उभय पक्ष के उपस्थित अधिवक्ता की बहस एवं प्राप्त लिखित बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। प्रश्नगत अपील प्रस्तुत करने में हुई 11 माह की देरी हेतु प्रस्तुत कारण संतोषजनक होकर उचित प्रतीत होते है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन में कहा गया कि आदेश संचिका दिनांक 23.07.2015 के अनुसार अपीलार्थीगण की मात्र तलबी में पेशी दिनांक 13.08.2015 नियत की थी जिसे बिना सूचना परिवर्तित कर केम्प कोर्ट में दिनांक 28.07.2015 को रख अपील का निर्णय किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से अपीलान्ट के उक्त कथन की पुष्टी होती है, जिससे प्रकरण में निर्णय दिनांक 29.07.2015 पारित करने से पूर्व अपीलान्टगण को सूचना देना एवं सुना जाना प्रतीत नहीं होता है। अपने कथन के समर्थन में वकील अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 47 नियम 27 सीपीसी मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया जाकर शा.फा. किया गया। उक्त शपथ पत्र का वर्णन इन्तकाल संख्या 430 के पृष्ठ भाग पर अंकित गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विचार किया जाना प्रतीत नहीं होता है। प्रस्तुत तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि निर्णय दिनांक 29.07.2015 पारित किये जाने के समय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिक्षण एवं उपरोक्त तथ्यों पर पूर्णतया विचार नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी, बेगूं का निर्णय दिनांक 29.07.2015 निरस्त किया जाता है। प्रकरण सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी, बेगूं को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारों को उचित एवं पर्याप्त सूनवाई का अवसर प्रदान कर, दस्तावेजों का परिक्षण कर एवं तथ्यों की जांच करा नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय दिनांक 27.11.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर